कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
आई.एस.ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित
Certified with ISO 9001:2015
क.रा.बी.नि.
ESIC
सत्यमेव जयते
आज़ादी का अमृत महोत्सव
क्षेत्रीय कार्यालय (दिल्ली) / Regional Office (Delhi)
तृतीय एवं चतुर्थ तल, राजेंद्र भवन,राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
3rd and 4th Floor, Rajendra Bhawan
Rajendra Place, New Delhi – 110008
Phone: 011-25734381, 25745044 Email : rd-delhi@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

फा०स०111-A-33/16/01/MACP-DPC/LaundryGroup/2022/Admn.II दिनांक: 01/01/2025

कार्यालय आदेश संख्या 01 वर्ष 2025 प्रशासन-2

दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति दिनांक 20.12.2024 की अनुशंसा पर, क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली ने निम्नलिखित प्रधान धुलाईघर प्रचालक (Head Laundry Operator) कर्मचारियों को उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर धुलाईघर पर्यवेक्षक (Laundry Supervisor) के पद व वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 के न्यूनतम वेतन 29200/- पर नियमित पदोन्नति के लिए अनुमोदन दिया हैः-

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी संख्या	श्रेणी	चयनित श्रेणी	वर्तमान तैनाती स्थान
1	Naval Kishore Rai	108799	UR	UR	ESIC Hospital Jhilmil
2	Man Singh	108801	UR	UR	ESIC Hospital Jhilmil
3	Avtar Singh	109846	UR	UR	ESIC Hospital Rohini
4	Ankit Kumar	114559	OBC/PWD	UR	ESIC Hospital Noida

धुलाईघर पर्यवेक्षक (Laundry Supervisor) पद पर नियमित पदोन्नति होने पर उनका वेतन केंद्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियमावली 2016 के अनुसार धुलाईघर पर्यवेक्षक (Laundry Supervisor) पद के पूर्व वेतन मान 5200-20200 व ग्रेड वेतन रुपये 2800/- के अनुरूप संशोधित 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 में अंकित न्यूनतम रूपये 29200/- में अथवा एम.ए.सी.पी. के अंतर्गत उन्हें दिए गए पूर्व संशोधित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन के अनुरूप संशोधित 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स लेवल में, जो भी अधिक हो, नियमो के अंतर्गत जहां आवश्यक हो, वहां वेतन निर्धारण के पश्चात विनियमित किया जाएगा। कर्मचारी, नियम-13, केंद्रीय सिविल सेवा संशोधित वेतन नियमावली 2016 के अंतर्गत वेतन निर्धारण नियम मूल नियमावली एफ. आर. 22(1) (ए) (i) के तहत आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अंदर वेतन निर्धारण का विकल्प चुन सकते हैं। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

तथापि, यदि कोई कर्मचारी ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के रूप मे उपर्युक्त ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड अथवा उच्चतर वेतन के अनुरूप संशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल में वेतन प्राप्त कर रहे हो, तो वे उसी संशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल में रहेंगे तथा उनके मामले में पदोन्नत पद पर किसी वेतन निर्धारण की आवश्यकता नही होगी।

उपर्युक्त कर्मचारियों की पदोन्नति नियमित आधार पर की गई है तथा वे समय-समय पर संशोधित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी एवं सेवा शर्ते) विनियमावली, 2023 में निर्धारित कर्मचारियों के समान वर्ग पर लागू निबंधन एवं सेवा शर्तों के अधीन रहेंगे।

उपर्युक्त कर्मचारी नियमित पदोन्नति के लिए अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति तुरंत प्रस्तुत करेंगे | यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति स्वीकार नहीं करता है, तो नियमानुसार पदोन्नति से इंकार करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए उस कर्मचारी की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा |

अनुपालना रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी के अवलोकनार्थ इस कार्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करे।

Signed by
Rajshekhar Singh
Date: 01-01-2025 12:12:52

(RAJSHEKHAR SINGH)
DEPUTY DIRECTOR

<u>संबंधित कर्मचारी</u>
(को इस निर्देश के साथ कि वह अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति रिपोर्ट को अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से प्रशासन शाखा-2, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में शीघ्र प्रस्तुत करें)

<u>प्रतिलिपिः</u>
1. संबधित कर्मचारी को उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से ।
2. निदेशक (चिकित्सा-6), मुख्यालय, क.रा.बी. निगम पंचदीप भवन, सी. आई.जी मार्ग, नई दिल्ली।
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. अस्पताल झिलमिल/नोएडा/रोहिणी, नई दिल्ली.
4. निजी सचिव/प्रधान निजी सचिव, निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली।
5. लेखा शाखा (चि.)/ रोकड़ शाखा (चि.)/स्था. शाखा (चि.)/स्था. शाखा -2 (चि.), निदेशालय (चिकि.) दिल्ली।
6. डी.पी.सी. शाखा 2/ सर्तकता शाखा-2. क्षे.का. दिल्ली।
7. स्था० 2 (चि.) गृह निर्माण अग्रिम/क.रा.बी. निगम (चि.) प्रशिक्षण / जी.एस.एल.आई./ वेतन निर्धारण।
8. ओ.एस.डी., आई.टी. सेल/ आईसीटी दिल्ली, कार्यालय की वेबसाईट पर दर्ज करने हेतु अनुरोध सहित।
9. अतिरिक्त प्रतियों सहित गार्ड फाईल।